ग्राम पंचायत झियोल, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176001 के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत झियोल, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधान:–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री मनजीत सिंह	01.04.2023 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री शशि भूषण	01.04.2023 से 13.06.2023
2	श्री तरलोक चन्द	14.06.2023 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री सतीश कुमार	01.04.2023 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री साहिव सिंह	01.04.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत झियोल के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	1.17
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	31.28
3	6.1	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	2.25
4	6.3	दुकानों के किराये की बकाया की वसूली शेष होना	0.10
5	7.2	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे	0.04
6	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	1.52
7	8.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	4.61
8	8.3	खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान	4.08
9	9.1	पौधारोपण हेतु खरीदे गए विभिन्न पौधो के लिये अनुमोदित दर की तुलना में अधिक दर से भुगतान करना	1.25
10	10	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे	5.72

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत झियोल का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2018 से 31/03/2020 तथा 01/04/2022 से 31/03/2023 के लिये किया गया था, जिसके शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरो की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है।

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2018 से 31/03/2020 तक

क्र0 सं0	पैरा सं.	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	12	अनिर्णीत	—
2.	13	अनिर्णीत	—
3.	14	अनिर्णीत	—

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2022 से 31/03/2023 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क मांग/प्राप्ति रजिस्टर के पेज 268 पर दर्ज प्रविष्टि की पुष्टि उपरान्त
2.	4,4.1	निर्णीत	वित्तीय स्थिति
3.	4.2	अनिर्णीत	
4.	4.3	अनिर्णीत	—
5.	5	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
6	6(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत	—
7	7(क)	अनिर्णीत	—
8	7(ख)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
9	8	अनिर्णीत	—
10	9	अनिर्णीत	—
11	10	अनिर्णीत	—
12	11	अनिर्णीत	—
13	12(क)	निर्णीत	पैरे में शामिल राशि ₹2340 दिनांक 01.08.23 को खाता संख्या "20121009745" में जमा करवा दी गई है।
14	12(ख)	निर्णीत	पैरे में शामिल राशि ₹3528 दिनांक 01.08.23 को खाता

			संख्या "20121009745" में जमा करवा दी गई है।
15	12(ग)	अनिर्णीत	—
16	13	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
17	14	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
18	15	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत झियोल के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 07.11.2024 से 13.11.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:—

वर्ष	आय	व्यय
2023—24	10/2023	03/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/546 दिनांक—13.11.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि कांगडा केन्द्रीय सहकारी बैंक मसरेड के मल्टीसिटी चैक संख्या 101284 दिनांक 27.11.2024 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2024/527 दिनांकः—07.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में दिया गया हैः—

1.स्वः—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2023-24	385886.81	63409.00	449295.81	109419.00	339876.81

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2023-24	2085477.35	8116776.58	10202253.93	7073985.58	3128268.35

कुल योग (1+2) 339876.81+3128268.35=**3468145.16**

(ख). बैंक समाधान विवरणीः—

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹3468145.16 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट—3"** के अनुसार अन्तशेष ₹3350945.16 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र0 सं0	विवरण	बैक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत/5वां वित	का•के•सह•बैंक मसरेड	20121009745	653836.81
2	एस.डी.पी/एस.डी.	का•के•सह•बैंक मसरेड	50055816466	612517

	आर.एफ / एम.पी.लेड			
3	वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक मसरेड	50055816524	29153
4	एम.एम.जी.पी. वाई / आर.जी.एस.ए	का•के•सह•बैंक मसरेड	50055816411	134045
5	एस.बी.एम	का•के•सह•बैंक मसरेड	50055816535	265354
6	आर.ए.वाई / आई.ए. वाई	का•के•सह•बैंक मसरेड	50055816546	1375
7	14वाँ वित्त,	का•के•सह•बैंक मसरेड	50055816579	90
8	15वाँवित्त / पी.एस / जेड.पी	का•के•सह•बैंक मसरेड	5007200113	1654044.35
	हस्तगत शेष			530
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः–				₹3350945.16
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹3468145.16
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः–				₹3350945.16
अन्तरः–				117200

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4 **(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹1.17 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत झियोल द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1,17,200/- का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 534 दिनांकः–08.11.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–13.11.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व

अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणो बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः–

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक–15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत झियोल के बैंक खातो के अंकेक्षण में पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, 5वां वित आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 12121009745 खोला गया था तथा एस.डी.पी, एस.डी.आर.एफ, एम.पी.लेड आदि शीर्षो के लिये संयुक्त खाता संख्या 50055816466 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है एवं नियमो के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/545 दिनांकः–13.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 08 दिनांकः–13.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि स्कीम वाईज खातो का अनुसंधारण कर दिया जायेगा, प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमानुसार स्कीम वाईज खातों का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ही बैंक खातो का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ड.) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2023–24 की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरो से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं:–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल सं0 मस्ट्रोल सं0/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	मनरेगा	शून्य/ 05.03.2024	मस्ट्रोल सं0–4799,4800	निर्माण सुरक्षा दीवार दुर्गा दास की जमीन से लेकर कुलदीप की जमीन की ओर सरूहली वार्ड–4	28448
2	मनरेगा	शून्य/ 05.03.2024,18.03.2024	मस्ट्रोल सं0–4977,4978, 5118,5119	निर्माण कुल्ह व डंगा नौड खडड से राजेश की जमीन की ओर वार्ड–1	52360
3	मनरेगा	शून्य/ 05.03.2024	मस्ट्रोल सं0–4802,4803, 4804	निर्माण कुल्ह कृष्ण चन्द की जमीन से लेकर खडड तक वार्ड–5	48384
4	मनरेगा	शून्य/ 05.03.2024, 18.03.2024	मस्ट्रोल सं– 4810,4811,5122, 5123	नवीनीकरण कुल्ह मैन डंगे से नीचे की ओर वार्ड–3	73920
5	मनरेगा	शून्य/ 05.03.2024, 18.03.2024	मस्ट्रोल सं.– 4807,4808,5126, 5127	निर्माण चैक डैम/कूल्ह सरूहली खडड नजदीक कान्ता देवी की जमीन वार्ड–3	59940

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदानो से प्राप्त की गई आय की भी लेखा खाता/खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि अनियमित तथा आपतिजनक है। उक्त अनियमितता से संबंधित आपति को गत अंकेक्षण में भी विभाग द्वारा उठाया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गयी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/545 दिनांकः–13.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 08 दिनांकः–13.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अवधि की खाता बहियों/लेखा खातों को तैयार करने उपरान्त सत्यापन हेतु अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5.1 अनुदान की राशि ₹31.28 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियो को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यंय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/527 दिनांकः–07.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹3128268.35/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	तीसरा/5वॉं वित्त	31.03.2024	314490.00
2	एस.डी.आर.एफ	31.03.2024	381802.00
3	वी.के.वी.वाई.एन	31.03.2024	29153.00
4	एम.एम.ए.जी.वाई	31.03.2024	134045.00
5	एस.बी.एम	31.03.2024	265354.00
6	आर.ए.वाई/आई.ए.वाई	31.03.2024	1375.00
7	एम.पी.लेड	31.03.2024	330931.00
8	एस.डी.पी	31.03.2024	16984.00
9	जेड.पी	31.03.2024	-97609.00
10	14वॉं वित्त	31.03.2024	90.00

11	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	1751653.35
		कुल जोड	**3128268.35**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है। ऐसा न होने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/536 दिनांक–11.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–08 दिनांकः–13.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुपयोग अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 जेड.पी अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से राशि ₹0.97/– लाख का अधिक व्यय करनाः–

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट 2** के अनुसार, दिनांक 31.03.2024 तक निम्न तालिका में दर्शाए शीर्ष जेड.पी के अंतर्गत प्राप्त अनुदान की अपेक्षा ₹97609 का अधिक व्यय किया गया दर्शाया गया था,जोकि एक वितीय अनियमितता हैः–

क्र0सं0	**अनुदान**	**अधिक व्यय**
1.	जेड.पी	97609

अतः उपरोक्त अनुदान के अंतर्गत किये गये अधिक व्यय बारे पूर्ण तथ्यो सहित औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित खाते में जमा करना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आयः–

6.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹2.25 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणो के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/527 दिनांकः—07.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹2,25,390/–** की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी, क्योंकि अवधि 2023–24 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी राशि की प्राप्ति नहीं गई थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का बिना पर्याप्त कारणों के वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2024 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/537 दिनांकः—11.11.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—08 दिनांकः—13.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली वर्तमान समय से की जा रही है तथा कुल वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा सम्पति कर मांग व संग्रह रजिस्टर का संधारण भी कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त बढ़ते बकाया पंचायत राजस्व का मामला पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक जाँच उपरान्त यथास्थिति नियमानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

6.2 स्वःस्त्रोत से प्राप्त आय ₹146/- को बैंक में जमा न करवानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को संबंधित बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत झियोल की रसीद बुको के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार ₹ 146 ग्राम पंचायत द्वारा बैंक में कम जमा करवाये गये थे।

क्र0सं0	रसीद संख्या	रोकड बही पृष्ठ संख्या	प्राप्त आय	बैंक में जमा	कम जमा
1	0074379	40	346	200	146

जिससे कि पंचायत स्वःस्त्रोत की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त राशि को बैंक में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/545 दिनांकः 13.11.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत झियोल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसकी वसूली रसीद संख्या 0074948 द्वारा करने उपरान्त सभा निधि खाता संख्या 20121009745 में दिनांक 18.11.2024 को जमा करवा दिया गया है। जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृति न हो ।

दुकानों के किराये से आयः—

6.3 दुकानों के किराये की बकाया ₹0.10 लाख का वसूली हेतु शेष होनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणो के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा/अ0वृ0कां/2024/533 दिनांकः—08.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक दुकानों के किराये की राशि ₹10000/— की राशि वसूली हेतु शेष थी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा दुकान किराया मांग व प्राप्ति रजिस्टर का न तो वार्षिक आधार पर और न ही माहवार अनुरक्षण किया गया था। जिसके अभाव में दिनांक 31.03.2024 को दुकान किराया वसूली हेतु शेष की सत्यता की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत द्वारा इस किराये की वसूली हेतु कोई ठोस कार्रवाई भी अमल में नहीं लाई गई थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित वसूली हेतु गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व बकाया इसी तरह बढ़ता रहा तो एक समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो सकता है।

अतः बकाया पंचायत राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार कारगर कदम उठाया जायें एवं तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

6.4 दुकानो के किरायेदारों के साथ किराया अनुबन्ध न करनाः—

ग्राम पंचायत के व्यावसायिक परिसरो/भवनों को किराये पर देने हेतु निदेशक एवं विशेष सचिव पंचायती राज विभाग हि0प्र0 के कार्यालय आदेश संख्या पी.सी.ए—व—एच—सी(7)10/30 दिनांक

17.09.2008 तथा 26.08.2022 के अंतर्गत जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा पंचायतों के व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने सम्बन्धी जारी उक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की गई थी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा/अ0वृ0कां /2024/533 दिनांकः–08.11.2024 के प्रत्युत्तर में, पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र क्रमाँक 08 दिनाँक 13.11.2024 द्वारा अंकेक्षण के दौरान सूचित किया कि पंचायत द्वारा संचालित दो दुकानों को किराये पर देते समय किरायेदारों के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। यह बहुत ही गम्भीर अनियमितता है तथा इसके अभाव में यदि भविष्य में पंचायत को कोई वित्तीय हानि होती है तो यह चूककर्ताओं का व्यक्तिगत दायित्व होगा।

उपरोक्त अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/538 दिनांकः 12.11.2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र क्रमाँक 08 दिनाँक 13.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि बकाया दुकान किराया की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा मांग व संग्रह रजिस्टर का संधारण भी कर लिया जाएगा तथा अनुबधं करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सुझाव दिया जाता है पंचायत हितों को सुरक्षित करने के लिये समय–समय पर जारी आदेशो–निर्देशों अनुसार अपेक्षित कदम यथाशीघ्र उठाया जाना सुनिश्चित करके किरायेदारों के साथ नियमानुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाये ताकि भविष्य में किराया वसूली में दिक्कत न आये कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.1 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹600/- का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-I/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य श्रेणी) व आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल. श्रेणी के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद व 90 दिनो के भीतर ₹400(सामान्य श्रेणी) से व ₹50 आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल श्रेणी से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

विवाह पंजीकरण शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण व निम्न विवरणानुसार 03 विवाह पंजीकृत किये गये थे, जिस हेतु ₹200/400 की दर से कम राशि वसूली गई थी, जबकि उक्त वर्णित दरो के अनुसार ₹600 प्राप्त किये जाने अपेक्षित थे।

क्र0सं0	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	अभिमन्यू वालिया	20.10.23	08.01.24	0074384	400	200	200
2	अर्जुन कुमार	22.11.23	09.02.24	0074386	400	200	200
3	श्री प्रणव	20.01.24	23.02.24	0074387	400	200	200
				कुल	**1200**	**600**	**600**

कम वसूली गई उक्त राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/537 दिनांकः–11.11.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत झियोल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्या 0074949 द्वारा करने उपरान्त सभा निधि खाता संख्या 20121009745 में दिनांक 18.11.2024 को जमा करवा दिया गया है, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।

अतः उक्त प्राप्त की गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि को सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए

7.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः– 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/527 दिनांकः–07.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "6"** पर संलग्न सूचना व निम्न तालिका के अनुसार ग्राम पंचायत झियोल द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान ₹3600 की राशि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई, परन्तु उसे सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था:–

क्र0सं0	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1	2023–24	3600

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/537 दिनांकः–11.11.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत झियोल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–08 दिनांकः–13.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.52 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित है।

ग्राम पंचायत झियोल के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "7"** के अनुसार ₹152042/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/542 दिनांकः–12.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–13.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुतस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षणावधि में इस प्रकार कृत समस्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹4.61 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत झियोल के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरो के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट–"7"** पर संकलित राशि ₹4,61,494/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/541 दिनांकः–12.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–13.11.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि स्टॉक प्रविष्टियों को स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का पारदर्शी एवं उचित इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹4.08 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हे भुगतान केवल वैध टांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/528 दिनांकः–07.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "8"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹407898.8/– का अनियमित भुगतान किया गया एवं पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है, जिससे स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/543 दिनांकः–13.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–13.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया, उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया। बर्तमान समय से उक्त फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है, प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि उक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमों के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानो को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इन प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

नोटः–उपरोक्त व्यय अंकेक्षण अवधि 2023–24 के दौरान समस्त क्रय की गई खनन सामग्री से संबंधित है। अंकेक्षण केवल चयनित माह 03/2024 वाउचरो का ही किया गया।

9.1 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत पौधारोपण हेतु क्रय पौधो का हि0प्र0 बागबानी विभाग की वर्ष 2023–24 की विभिन्न पौधो की अनुमोदित दर की तुलना में अधिक दर से क्रय के फलस्वरूप ₹1.25 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का

जिम्मेवार होगा व हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 44 के अनुसार किसी भी प्रकार का व्यय करते समय ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण रूप से मितव्ययता बरती जाएगी। इसके अतिरिक्त निदेशक बागवानी विभाग शिमला के पत्र संख्या HDP-NMS(Sale Rate -57)/2021 Vol II दिनांक 01.06.2024 द्वारा अवधि 2023–24 के विभिन्न पौधो की दरे अनुमोदित की गई है तथा निदेशक मनरेगा (RDD) हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या No.SMS-1/2022-23/RDD-BA-plantation-6165-6200 दिनांक 14.07.2024 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पौधारोपण सामग्री की खरीद बागवानी विभाग की नर्सरियो/पंजीकृत नर्सरियो से उप–निदेशक बागवानी विभाग/स्थायी बागवानी अधिकारी की सिफारिशो के उपरान्त ही की जाएगी।

चयनित मास 03/2024 के व्यय वाउचरो के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पौधारोपण के लिये विभिन्न पौधे खरीदने हेतु हि0प्र0 बागवानी विभाग की वर्ष 2023–24 की निर्धारित दरो से पौधे क्रय न करके व अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाये आमंत्रित करके क्रय किये गए। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट ''9''** के अनुसार ₹124345/– का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया था। जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है।

उक्त अनियमितता के दृष्टिगत किये गए व्यय को नियमानुसार न्यायोचित ठहराने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/544 दिनांकः–13.11.2024 द्वारा अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–13.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अंकेक्षण अवधि 2023–24 में मनरेगा के अंतर्गत पौधारोपण हेतु पौधो का क्रय हि0प्र0 बागवानी विभाग से न करके खुले बाजार से किया गया। उक्त ममाले की छानबीन करके उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अनियमित किये गए भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित किया जाये तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर यथास्थिति कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए। पूर्वोक्त मामलो के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई पौधरोपण सामग्री हेतु की गई अधिक/अनियमित भुगतान की राशि की भी संस्था/विभागीय स्तर पर नियमानुसार समुचित गणना कर उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 अग्रिम भुगतान राशि ₹360/- का समायोजन हेतु शेष पाया जानाः-

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फॉर्म-9 में अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करने उपरान्त किये गए अग्रिमों का वितीय वर्ष के अन्त में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन को सीमेंट के क्रय हेतु निम्न विवरणानुसार राशि ₹360/- का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं किया गया था व उसके समायोजन से संबंधित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गयाः-

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर/ दिनांक/बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा	दर	राशि (₹)
1	मनरेगा	निल/01.03. 2024/104423	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन चैतड़ू	सीमेंट बैग	–	–	200
2	मनरेगा	निल/01.03. 2024/104422	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन चैतड़ू	सीमेंट बैग	–	–	160
						कुल जोड	360

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/539 दिनांकः-12.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः-08 दिनांकः- 13.11. 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि हि0प्र0 सिविल सप्लाई को सीमेंट खरीदने हेतु किये गये अग्रिम भुगतान राशि के समायोजन से संबंधित अभिलेख को तैयार कर लिया जाएगा तथा अधिक भुगतान से संबंधित हि0प्र0 सिविल सप्लाई चैतरू से पत्राचार करने उपरान्त इसका समायोजन कर लिया जाएगा।

अतः मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके तथा नियमानुसार अग्रिम समायोजन रजिस्टर को भी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा पूर्वोक्त मामलो के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान

किये गए अग्रिम भुगतानों के सम्बन्ध में भी नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 राशि ₹5.72 लाख के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओ को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

चयनित मास 03/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹5,71,602/– के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं/दिनांक/बिल संख्या,मस्टोल.सं0	मास	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)
1.मनरेगा	निल/05.03.2024/मस्ट्रोल–4799,4800	03/2024	निर्माण सुरक्षा दीवार दुर्गा दास की जमीन से लेकर कुलदीप की जमीन की ओर सरूहली वार्ड–4	28448
2.मनरेगा	निल/18.03.2024/मस्ट्रोलं –5116,5117	03/2024	निर्माण कुल्ह व डंगा राजेश की जमीन की ओर वार्ड–1	13940
3.मनरेगा	निल/05.03.2024/मस्ट्रोल –4977,4978,5118,5118	03/2024	निर्माण कुल्ह व डंगा नौड खडड से राजेश की जमीन की ओर वार्ड–1	52360
4.मनरेगा	निल/05.03.2024/मस्ट्रोल –4803,4803,4804	03/2024	निर्माण कुल्ह कृष्ण चन्द की जमीन से लेकर खडड तक वार्ड–5	48384
5.मनरेगा	निल/05.03.2024/मस्ट्रोल –4805,4806,5124	03/2024	निर्माण कुल्ह प्रकाश चन्द के घर से ओम प्रकाश की जमीन की ओर वार्ड–6	47368
6.मनरेगा	निल/05.03.2024,18.03.2024/ मस्ट्रोल –4810,4811,5122,5123	03/2024	नवीनीकरण कुल्ह मैन डंगे से नीचे की ओर वार्ड–3	73920

7.मनरेगा	निल / 05.03.2024,18.03. 2024 / मस्ट्रोल – 4807,4808,5126,5127	03 / 2024	निर्माण चैक डैम / कूल्ह सरूहली खडड नजदीक कान्ता देवी की जमीन वार्ड–3	59940
8.मनरेगा	निल / 05.03.2024,18.03. 2024 / मस्ट्रोल – 4809,5128	03 / 2024	नवीनीकरण कुल्ह राजेश कुमार की जमीन से मदन लाल की जमीन की ओर वार्ड–1	8940
9.मनरेगा	निल / 18.03.2024 / मस्ट्रोल –5151,5132	03 / 2024	नवीनीकरण कुल्ह शिव मन्दिर से लेकर विक्रम जीत की जमीन की ओर वार्ड–4	28380
10.मनरेगा	निल / 05.03.2024 / मस्ट्रोल –4812	03 / 2024	निर्माण पौधा रोपण विपन व विनोद की जमीन वार्ड–7	6048
11.मनरेगा	निल / 05.03.2024 / मस्ट्रोल –5037	03 / 2024	निर्माण पौधा रोपण जोगिन्द्र सिंह स्पुत्र जैसी राम वार्ड–2	6048
12.मनरेगा	निल / 18.03.2024 / मस्ट्रोल –5130	03 / 2024	पौधशाला हरिकृष्ण स्पुत्र अंनत राम की जमीन वार्ड–5	8736
13.मनरेगा	निल / 18.03.2024 / मस्ट्रोल –5139	03 / 2024	पौधशाला प्रकाश चन्द की जमीन वार्ड–4	8736
14.मनरेगा	निल / 18.03.2024 / मस्ट्रोल –5134	03 / 2024	पौधशाला विजय कुमार की जमीन वार्ड–5	10268
15.मनरेगा	निल / 05.03.24,18.03. 24 / मस्ट्रोल –4814,5135	03 / 2024	निर्माण सुरक्षा दीवार विधि सिंह स्पुत्र रूप लाल की जमीन वार्ड–5	16800
16.मनरेगा	निल / 05.03.24,18.03. 24 / मस्ट्रोल –4815,5136	03 / 2024	निर्माण सुरक्षा दीवार शुभ कुमार की जमीन वार्ड–1	11200
17.मनरेगा	निल / 05.03.24, / मस्ट्रोल –4816,4817,4818,4950	03 / 2024	निर्माण जीप रोड मेन रोड से विक्रम सिंह की जमीन की ओर वार्ड–1	44800
18.मनरेगा	निल / 18.03.24 / मस्ट्रोल –5137,5138	03 / 2024	निर्माण जीप रोड देश राज की जमीन से चन्द लाल की जमीन की ओर वार्ड–5	2200

19.मनरेगा	निल / 01.03.24 / 104423	03 / 2024	निर्माण सुरक्षा दीवार नौड खडड में पुली से उपर की ओर वार्ड–4	49000
20.मनरेगा	निल / 01.03.24 / 104422	03 / 2024	निर्माण कुल्ह मुल्ख राज के घर की ओर वार्ड–2	31360
21.मनरेगा	निल / 01.03.24 / 61	03 / 2024	निर्माण सुरक्षा दीवार हरिचरण के घर के पास वार्ड–1	14726
			कुल योग	**571602**

उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत झियोल से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 540 दिनांकः–12.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–13.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि माप पुस्तिकाओं को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

11. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹14.84 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल / वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 03 / 2024 के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹14,83,993.67 / – का भुगतान किया गया था ,जोकि अनियमित व आपतिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 545 दिनांकः–13.11.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत झियोल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 08 दिनांकः–13.11.

2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वतर्मान समय से संयुक्त हस्ताक्षरो द्वारा ही भुगतान किया जाएगा।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानो को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या "9.1 व 10" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई:–

1.नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

3.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्ररूप–34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/545 दिनांकः– 13.11.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत झियोल को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–13.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से उक्त अनियमितताओं के नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः—

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/527 दिनांकः 07.11.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—08 दिनांकः—13.11.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा ''प्रारूप—5'' के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

11	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टाक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/527 दिनांक:–07.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–08 दिनांक:–13.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रतिउत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियां:–

15.1 रसीद बुको का स्टॉक नियमानुसार न रखा जाना:–

रसीद बुकों के स्टॉक के अंकेक्षण में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदो के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गयी तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये

15.2 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरो पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2023–24 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15.3 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत झियोल द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत झियोल के चयनित मास के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि मनरेगा मस्ट्रोल व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16 **लघु आपति विवरणिका**:— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

17 **निष्कर्ष**:— लेखों के रख—रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा—निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रख—रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

ह0/प्र0

03 FEB 2025

755 — 759

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)267/2020—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत झियोल, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

03 FEB 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

ह0/प्र0

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या 4:1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP JHIYOL FOR THE YEAR 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2023-24	385886.81	63409.00	449295.81	109419.00	339876.81

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2023-24	2085477.35	8116776.58	10202253.93	7073985.58	3128268.35

PANCHAYATI RAJ

विकास खण्ड कांगड़ा
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

28

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या -"5.1"

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP JHIYOL FOR THE YEAR 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	3RD/5TH SFC	2023-24	328494.00	450299.00	778793.00	464303.00	314490.00
2	SDRF	2023-24	192843.00	284071.00	476914.00	95112.00	381802.00
3	VKVNY	2023-24	41983.00	223774.00	265757.00	236604.00	29153.00
4	MMGPY	2023-24	2103.00	161342.00	163445.00	29400.00	134045.00
5	SBM	2023-24	257521.00	7833.00	265354.00	0.00	265354.00
6	RAY/IAY	2023-24	1335.00	40.00	1375.00	0.00	1375.00
7	MPLAD	2023-24	55931.00	275000.00	330931.00	0.00	330931.00
8	SDP	2023-24	16984.00	0.00	16984.00	0.00	16984.00
9	ZP	2023-24	-97609.00	0.00	-97609.00	0.00	-97609.00
10	14TH FC	2023-24	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00
11	15TH FC/PS/ZP	2023-24	1285892.35	515545.00	1801437.35	49784.00	1751653.35
12	MGNREGA	2023-24	0.00	6198782.58	6198782.58	6198782.58	0.00
TOTAL			2085477.35	8116776.58	10202253.93	7073985.58	3128268.35

29

ग्राम पंचायत झियोल
विकास खण्ड कार्यालय
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

परिशिष्ट – 3 (पैरा संख्या – 4.1 (20))

कार्यालय ग्राम पंचायत झियोल विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176001

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत झियोल के दिनांक 01.04.2023 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क्र.	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.23 को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत / 5वां वित	का•के•सह•बैंक मसरेड	20121009745	713529.81	653836.81
2	एस.डी.पी / एस.डी.आर. एफ / एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक मसरेड	50055816466	265758	612517
3	वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक मसरेड	50055816524	41983	29153
4	एम.एम.जी.पी.वाई / आर. जी.एस.ए	का•के•सह•बैंक मसरेड	50055816411	2103	134045
5	एस.बी.एम	का•के•सह•बैंक मसरेड	50055816535	257521	265354
6	आर.ए.वाई / आई.ए.वाई	का•के•सह•बैंक मसरेड	50055816546	1335	1375
7	14वाँ वित्त,	का•के•सह•बैंक मसरेड	50055816579	0	90
8	15वाँवित्त / पी.एस / जेड.पी	का•के•सह•बैंक मसरेड	5007200113	1188283.35	1654044.35
	हस्तगत शेष(स्वःस्त्रोत, ऑनलाईन रोकड़ बही के अनुसार)			851	530
			कुल योग	2471364.16	3350945.16

Checked

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत झियोल
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या –6.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत झियोल विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176001

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2023–24 में 754 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2023–24	190240	703	50	35150	225390	0	225390
	नोटः– दिनाँक 31.03.2024 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹225390**/– है।						

सचिव
ग्राम पंचायत झियोल
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

परिशिष्ट–5 (पैरा संख्या –6.2)

कार्यालय ग्राम पंचायत झियोल विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176001

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष दुकान किराया:–

पंचायत क्षेत्र में संचालित दुकानो की कुल संख्या:– 2023–24 में 2 का रु 200/400/– प्रति दुकानदार से प्रतिमाह की दर से:–

वितीय वर्ष	अथशेष	दुकानो की संख्या	दुकान किराया प्रतिमाह	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2023–24	8000	2	200/400	8000	16000	6000	10000

सचिव ग्राम पंचायत झियोल विकास खण्ड धर्मशाला जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

परिशिष्ट–6 (पैरा संख्या – "7.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत झियोल विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176001

विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानि:–

क.संख्या	अवधि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1	2023–24	3600

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत झियोल
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

परिशिष्ट – 7 (पैरा संख्या – "8.1" व 8.2")

ग्राम पंचायत झियोल विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ,स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर क्रय करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.NREGA	Nil/04.03.24	Readymade Sign Board	2408/15.12.23	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2399	2399	एक निविदा प्रस्तुत की गई,स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
2.NREGA	Nil/01.03.24	Galgal	410/19.08.2023	M/s Dhanotia Enterprises Ichhi	30	180	5400	स्टॉक प्रविष्टियां मद बार प्रस्तुत नहीं की गई
		Lemon			30	220	6600	
		Mango			10	180	1800	
		Star Fruit			6	190	1140	
		Lashara			4	190	760	
		Palam			4	180	720	
		Malta			5	180	900	
		Adhu			3	180	540	
		Guava			5	180	900	
		Chandan			5	150	750	
		Papetta			1	150	150	
		Orange			5	180	900	
		Mashomme			5	180	900	
		Chiku			2	180	360	
3.NREGA	Nil/04.03.24	Readymade Sign Board	2409/15.12.23	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2399	2399	एक निविदा प्रस्तुत की गई,स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
4.NREGA	Nil/01.03.24	Galgal	409/19.08.2023	M/s Dhanotia Enterprises Ichhi	10	180	1800	स्टॉक प्रविष्टियां मद बार प्रस्तुत नहीं की गई
		Lemon			30	220	6600	
		Mango			10	180	1800	
		Star Fruit			4	190	760	
		Lashara			4	190	760	
		Kathal			2	180	360	
		Malta			10	180	1800	
		Adhu			4	180	720	
		Guava			4	180	720	
		Ambla			6	150	900	
		Palam			5	180	900	
		Orange			10	180	1800	
		Mashomme			6	180	1080	
		Chandan			6	150	900	
		Apple			15	220	3300	
5.NREGA	Nil/04.03.24	Readymade Sign Board	2410/15.12.23	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2399	2399	एक निविदा प्रस्तुत की गई,स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
6.NREGA	NIl/01.03.24	Set 30"x40"	392/19.08.2023	M/s Dhanotia Enterprises Ichhi			5500	निविदायें व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Green seed Net					1500	
7.NREGA	NIl/01.03.24	Various Green House Items	1670/19.08.2023	M/s Saini Ply House Old Matour			31417	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
8.NREGA	NIl/01.03.24	Lemon	412/19.08.2023	M/s Dhanotia Enterprises Ichhi	10	220	2200	स्टॉक प्रविष्टियां मद बार प्रस्तुत नहीं की गई
		Apple			10	220	2200	
		Mango			3	180	540	
		Star Fruit			4	190	760	
		Neem			1	150	150	
		Jack Fruit			5	115	575	
		Malta			10	180	1800	
		Amla			2	150	300	
		Guava			5	180	900	
		Chandan			5	150	750	
		Mhagane			65	150	9750	
9.NREGA	Nil/04.03.24	Readymade Sign Board	2411/15.12.23	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2399	2399	एक निविदा प्रस्तुत की गई,स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
10.NREGA	NIl/01.03.24	Lemon	435/19.08.2023	M/s Dhanotia Enterprises Ichhi	10	220	2200	स्टॉक प्रविष्टियां मद बार प्रस्तुत नहीं की गई
		Apple			10	220	2200	
		Mosme			10	180	1800	
		Mango			10	180	1800	
		Galgal			10	180	1800	
		Star Fruit			5	180	900	
		Lichi			7	180	1260	
		Amla			5	150	750	
		Guava			10	180	1800	
		Palam			5	180	900	
		Adhu			5	180	900	
		Kathal			3	180	540	
		Orange			4	180	720	

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत झियोल
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

11.NREGA	Nil/04.03.24	Readymade Sign Board	2412/15.12.23	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2399	2399	एक निविदा प्रस्तुत की गई,स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
12.NREGA	Nil/01.03.24	Various Green House Items	1669/19.08.2023	M/s Saini Ply House Old Matour			31697	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
13.NREGA	Nil/01.03.24	Set 30"x40"	394/19.08.2023	M/s Dhanotia Enterprises Ichhi			5500	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Green seed Net					1500	
14.NREGA	Nil/01.03.24	Lemon	413/19.08.2023	M/s Dhanotia Enterprises Ichhi	10	220	2200	स्टॉक प्रविष्टियां मद बार प्रस्तुत नहीं की गई
		Apple			6	220	1320	
		Mango			2	180	360	
		Star Fruit			4	190	760	
		Mahagave			70	150	10500	
		Neem			2	150	300	
		Malta			4	180	720	
		Amla			2	150	300	
		Palam			6	180	1080	
		Chandan			5	150	750	
		Lashara			4	180	720	
15.NREGA	Nil/04.03.24	Readymade Sign Board	2413/15.12.23	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2399	2399	एक निविदा प्रस्तुत की गई,स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
16.NREGA	Nil/01.03.24	Lemon	411/19.08.2023	M/s Dhanotia Enterprises Ichhi	10	220	2200	स्टॉक प्रविष्टियां मद बार प्रस्तुत नहीं की गई
		Apple			30	220	6600	
		Mango			5	180	900	
		Star Fruit			3	190	570	
		Chandan			10	150	1500	
		Magone			70	150	10500	
		Palam			2	180	360	
		Malta			2	180	360	
17.NREGA	Nil/04.03.24	Readymade Sign Board	2415/15.12.23	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2399	2399	एक निविदा प्रस्तुत की गई,स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
18.NREGA	Nil/01.03.24	Set 30"x40"	393/19.08.2023	M/s Dhanotia Enterprises Ichhi			5500	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Green seed Net					1500	
19.NREGA	Nil/01.03.24	Various Green House Items	1671/19.08.2023	M/s Saini Ply House Old Matour			31943	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
20.NREGA	Nil/04.03.24	Readymade Sign Board	2416/15.12.23	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2399	2399	एक निविदा प्रस्तुत की गई,स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
21.NREGA	Nil/01.03.24	Lemon	416/19.08.2023	M/s Dhanotia Enterprises Ichhi	30	220	6600	स्टॉक प्रविष्टियां मद बार प्रस्तुत नहीं की गई
		Apple			10	220	2200	
		Orange			6	180	1080	
		Jack Fruit			20	115	2300	
		Chiku			4	168	672	
		Star Fruit			10	180	1800	
		Galgal			6	180	1080	
		Amla			6	150	900	
		Palam			4	180	720	
		Lashara			10	190	1900	
		Guava			4	180	720	
22.NREGA	Nil/04.03.24	Readymade Sign Board	2417/15.12.23	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2399	2399	एक निविदा प्रस्तुत की गई,स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
23.NREGA	Nil.01.03.2024	Lemon	414/19.08.2023	M/s Dhanotia Enterprises Ichhi	35	220	7700	स्टॉक प्रविष्टियां मद बार प्रस्तुत नहीं की गई
		Apple			20	220	4400	
		Mosmi			20	180	3600	
		Jack Fruit			5	180	900	
		Galgal			30	180	5400	
		Guava			10	180	1800	
24.NREGA	Nil/04.03.24	Readymade Sign Board	2419/15.12.23	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2399	2399	एक निविदा प्रस्तुत की गई,स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
25.NREGA	Nil/01.03.24	Lemon	417/19.08.2023	M/s Dhanotia Enterprises Ichhi	65	220	14300	स्टॉक प्रविष्टियां मद बार प्रस्तुत नहीं की गई
		Apple			10	220	2200	
		Guava			2	180	360	
		Jack Fruit			4	180	720	
		Galgal			6	180	1080	
		Star Fruit			2	190	380	
		Malta			6	180	1080	

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

		Amla			2	150	300	
		Mango			9	180	1620	
		K.Lemon			10	180	1800	
NREGA	Nil/04.03.24	Readymade Sign Board	2418/15.12.23	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2399	2399	एक निविदा प्रस्तुत की गई,स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
27.NREGA	Nil/01.03.24	Lemon	580/17.11.2023	M/s Dhanotia Enterprises Ichhi	15	220	3300	स्टॉक प्रविष्टियां मद बार प्रस्तुत नहीं की गई
		Apple			6	220	1320	
		Orange			12	180	2160	
		Star Fruit			1	180	180	
		Cherry			2	220	440	
		Neem			2	150	300	
		Lechi			5	180	900	
		Amla			2	150	300	
		Anzeer			1	180	180	
		Adhu			2	150	300	
		Galgal			5	180	900	
		Malta			20	180	3600	
		Mango			10	180	1800	
		Guava			2	180	360	
		Anar			5	180	900	
		Bill Patre			1	150	150	
28.NREGA	Nil.01.03.2024	Lemon	395/19.08.2023	M/s Dhanotia Enterprises Ichhi	50	220	11000	स्टॉक प्रविष्टियां मद बार प्रस्तुत नहीं की गई
		Kathal			5	180	900	
		Galgal			30	180	5400	
		Amla			1	150	150	
		Mango			3	180	540	
29.NREGA	Nil/04.03.24	Readymade Sign Board	2414/15.12.23	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2399	2399	एक निविदा प्रस्तुत की गई,स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
30.NREGA	Nil/04.03.24	Readymade Sign Board	2420/15.12.23	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2399	2399	एक निविदा प्रस्तुत की गई,स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
31.NREGA	Nil.01.03.2024	Lemon	430/19.08.2023	M/s Dhanotia Enterprises Ichhi	45	220	9900	स्टॉक प्रविष्टियां मद बार प्रस्तुत नहीं की गई
		Kathal			3	115	345	
		Galgal			30	180	5400	
		Lashara			2	180	360	
		Mosme			10	180	1800	
32.NREGA	Nil/04.03.24	Readymade Sign Board	2421/15.12.23	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2399	2399	एक निविदा प्रस्तुत की गई,स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
33.NREGA	Nil/01.03.24	Lemon	578/15.09.2023	M/s Dhanotia Enterprises Ichhi	20	220	4400	स्टॉक प्रविष्टियाँ मद बार प्रस्तुत नहीं की गई
		Apple			5	220	1100	
		Kathal			2	180	360	
		Star Fruit			2	190	380	
		Dragan Fruit			2	190	380	
		Neem			5	150	750	
		Galgal			10	180	1800	
		Amla			2	150	300	
		Mosme			15	180	2700	
		Guava			5	180	900	
		Malta			15	180	2700	
		Chandan			5	150	750	
		Lasayadha			2	190	380	
34.NREGA	Nil/04.03.24	Readymade Sign Board	2422/15.12.23	M/s Ravi Art Tangroti Khas Yol	1	2399	2399	एक निविदा प्रस्तुत की गई,स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
35.NREGA	Nil/01.03.24	Lemon	418/19.08.2023	M/s Dhanotia Enterprises Ichhi	90	220	19800	स्टॉक प्रविष्टियां मद बार प्रस्तुत नहीं की गई
		Apple			5	220	1100	
		Moshme			3	180	540	
		Jack Fruit			12	115	1380	
		Galgal			4	180	720	
		Orange			4	180	720	
		Lashara			2	190	380	
36.NREGA	Nil/01.03.24	Lemon	415/19.08.2023	M/s Dhanotia Enterprises Ichhi	40	220	8800	स्टॉक प्रविष्टियां मद बार प्रस्तुत नहीं की गई
		Lashiyara			10	190	1900	
		Jack Fruit			10	115	1150	
		Galgal			40	180	7200	
		Babugosha			15	190	2850	
						कुल योग	461494	461494

नोट:- 1. क्रम संख्या 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 30, 32, व 34 तक की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया।
2. क्रम संख्या 1 से 36 तक की मद वार स्टॉक प्रविष्टियां अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।

प्रधान / सचिव
ग्राम पंचायत ...
विकास खण्ड ...
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

परिशिष्ट – 8 (पैरा संख्या – '8.3')

ग्राम पंचायत झियोल द्वारा अंकेक्षण अवधि 2023-24 के दोरना से क्रय की गई निर्माण सामग्री पर किये गये व्यय से सम्बन्धित ब्यौरा

MGNREGA And OTHER HEAD

क्र० सं०	वाउचर नं०	फर्म का नाम	बिल सं०/दिनांक	सामग्री	मात्रा	दर	राशि	कुल राशी	GST PAID	कुल राशि GST सहित
1	NILL 01-03-2024	Koundal Composite Unit Vill Parol,Jheyol	059-10/05/2023	Sand	100	42.5	4250	11050	552.5	11602.5
2		Koundal Composite Unit Vill Parol,Jheyol	059-10/05/2023	Aggregate	200	34	6800			
3	NILL 01-03-2024	Koundal Composite Unit Vill Parol,Jheyol	060-10/05/2023	Sand	100	42.5	4250	11050	552.5	11602.5
4		Koundal Composite Unit Vill Parol,Jheyol	060-10/05/2023	Aggregate	200	34	6800			
5	NILL 01-03-2024	Koundal Composite Unit Vill Parol,Jheyol	061-10/05/2023	Sand	250	42.5	10625	14025	701.25	14726.25
6		Koundal Composite Unit Vill Parol,Jheyol	061-10/05/2023	Aggregate	100	34	3400			
7	NILL 01-03-2024	Koundal Composite Unit Vill Parol,Jheyol	064-20/06/2023	Sand	100	42.5	4250	11050	552.5	11602.5
8		Koundal Composite Unit Vill Parol,Jheyol	064-20/06/2023	Aggregate	200	34	6800			
9	NILL 04-03-2024	Koundal Composite Unit Vill Parol,Jheyol	063-20/06/2023	Sand	100	42.5	4250	11050	552.5	11602.5
10		Koundal Composite Unit Vill Parol,Jheyol	063-20/06/2023	Aggregate	200	34	6800			
11	NILL 14-05-2024	JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	327-20/01/2024	Sand	300	64.9	19470	39030	1951.5	40981.5
12		JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	327-20/01/2024	Aggregate	400	48.9	19560			
13	NILL 14-05-2024	JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	329-20/01/2024	Sand	300	64.9	19470	29250	1462.5	30712.5
14		JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	329-20/01/2024	Aggregate	200	48.9	9780			
15	NILL 14-05-2024	JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	326-20/01/2024	Sand	300	64.9	19470	34140	1707	35847
16		JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	326-20/01/2024	Aggregate	300	48.9	14670			
17	NILL 14-05-2024	JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	328-20/01/2024	Sand	150	64.9	9735	17070	853.5	17923.5
18		JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	328-20/01/2024	Aggregate	150	48.9	7335			

Gram Rozgar Sewak
Gram Panchayat Jheyol
Dev Block Dharamshala

Technical Assistant
Gram Panchayat
Dev. Block Dharamshala

37

प्रधान
ग्राम पंचायत झियोल
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

सचिव

19	NILL 14-05-2024	JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	321-20/01/2024	Sand	300	64.9	19470	34140	1707	35847
20		JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	321-20/01/2024	Aggrigate	300	48.9	14670			
21	NILL 14-05-2024	JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	322-20/01/2024	Sand	300	64.9	19470	39030	1951.5	40981.5
22		JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	322-20/01/2024	Aggrigate	400	48.9	19560			
23	NILL 14-05-2024	JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	320-20/012024	Sand	300	64.9	19470	39030	1951.5	40981.5
24		JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	320-20/012024	Aggrigate	400	48.9	19560			
25	NILL 14-05-2024	JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	324-20/01/2024	Sand	300	64.9	19470	39030	1951.5	40981.5
26		JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	324-20/01/2024	Aggrigate	400	48.9	19560			
		TOTAL (A)					**328945**	**328945**	**16447**	**345392.3**
		GEN. HEAD (VKVNY AND SDRF)								
27	24/P/3 06/07/2023	JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	266-07/09/2022	Sand	120	46.5	5580			
28	24/P/3 06/07/2023	JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	266-07/09/2022	Agge	240	37.5	9000	19005	950.25	19955.25
	24/P/3 06/07/2023	JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	266-07/09/2022	Bolder	150	29.5	4425			
29	24/P/3 06/07/2023	JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	264-09/01/2023	Sand	200	46.5	9300			
30	24/P/3 06/07/2023	JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	264-09/01/2023	Agge	400	37.5	15000	40525	2026.3	42551.25
31	24/P/3 06/07/2023	JAI MAA BANGLA MUKHI BUILDING MATERIALVill. Uthra Gran, Ramerh	264-09/01/2023	Bolder	550	29.5	16225			
		TOTAL (B)					**59530**	**59530**	**2976.5**	**62506.5**
		GRAND TOTAL (A+B)					**388475**	**388475**	**19424**	**407898.8**

उपरोक्त खनन सामग्री अंकेक्षण अवधि 2023-2024 के दौरान वैध ट्रांजिट पासफोर्म "X या W" प्राप्त किए बिना क्रय कि गई !

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत ढियोल
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

38

Technical Assistant
Gram Panchayat
Dev. Block Dharamshala

परिशिष्ट–परिशिष्ट-9 (पैरा संख्या -9.2")

अनुदान	वाउचर स0/ दिनांक/ बिल स0	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	न्यूनतम व अपेक्षित दर से भुगतान ₹	किया गया भुगतान ₹	अधिक भुगतान ₹
1.मनरेगा	निल/01.03. 2024/418	मै0 धनोटिया ईंटरप्राईजेज इच्छी	Lemon	4500 (90@50)	19800 (90@220)	15300
			Jeck Fruit	420 (12@35)	1380 (12@115)	960
			Moshme	165 (03@55)	540 (03@180)	375
			Orange	220 (04@55)	720 (04@180)	500
2.मनरेगा	निल/01.03. 2024/410	मै0 धनोटिया ईंटरप्राईजेज इच्छी	Lemon	1500 (30@50)	6600 (30@220)	5100
			Mango	650 (10@65)	1800 (10@180)	1150
			Malta	275 (05@55)	900 (05@180)	625
			Guava	275 (05@55)	900 (05@180)	625
			Papaya	25 (01@25)	150 (01@150)	135
			Orange	275 (05@55)	900 (05@180)	625
3.मनरेगा	निल/01.03. 2024/409	मै0 धनोटिया ईंटरप्राईजेज इच्छी	Lemon	1500 (30@50)	6600 (30@220)	5100
			Mango	650 (10@65)	1800 (10@180)	1150
			Malta	550 (10@55)	1800 (10@180)	1250
			Orange	550 (10@55)	1800 (10@180)	1250
			Moshme	330 (06@55)	1080 (06@180)	750
			Guava	220 (04@55)	720 (04@180)	500

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
विकास खण्ड [illegible]
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

4.मनरेगा	निल / 01.03. 2024 / 412	मै0 धनोटिया ईंटरप्राईजेज इच्छी	Malta	550 (10@55)	1800 (10@180)	1250
			Guava	275 (05@55)	900 (05@180)	625
			Mango	195 (03@65)	540 (03@180)	345
			Lemon	500 (10@50)	2200 (10@220)	1700
			Jeck Fruit	175 (05@35)	575 (5@115)	400
5.मनरेगा	निल / 01.03 2024 / 435	मै0 धनोटिया ईंटरप्राईजेज इच्छी	Lemon	500 (10@50)	2200 (10@220)	1700
			Guava	550 (10@55)	1800 (10@180)	1250
			Moshme	550 (10@55)	1800 (10@180)	1250
			Orange	220 (04@55)	720 (4@180)	500
			Mango	650 (10@65)	1800 (10@180)	1150
6.मनरेगा	निल / 01.03. 2024 / 413	मै0 धनोटिया ईंटरप्राईजेज इच्छी	Mango	130 (02@65)	360 (02@180)	230
			Lemon	500 (10@50)	2200 (10@220)	1700
			Malta	220 (04@55)	720 (04@180)	500
7.मनरेगा	निल / 01.03. 2024 / 411	मै0 धनोटिया ईंटरप्राईजेज इच्छी	Mango	325 (05@65)	900 (05@180)	575
			Lemon	500 (10@50)	2200 (10@220)	1700
			Malta	110 (02@55)	360 (02@180)	250
8.मनरेगा	निल / 01.03. 2024 / 415	मै0 धनोटिया ईंटरप्राईजेज इच्छी	Lemon	2000 (40@50)	8800 (40@220)	6800
			Jeck Fruit	350 (10@35)	1150 (10@115)	800
9.मनरेगा	निल / 01.03. 2024 / 416	मै0 धनोटिया ईंटरप्राईजेज इच्छी	Jeck Fruit	700 (20@35)	2300 (20@115)	1600

40

जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

			Lemon	1500 (30@50)	6600 (30@220)	5100
			Orange	330 (06@55)	1080 (6@180)	750
			Guava	220 (04@55)	720 (04@180)	500
10.मनरेगा	निल/01.03. 2024/414	मै0 धनोटिया ईंटरप्राईजेज इच्छी	Lemon	1750 (35@50)	7700 (35@220)	5950
			Moosmi	1100 (20@55)	3600 (20@180)	2500
			Guava	550 (10@55)	1800 (10@180)	1250
			Jack Fruit	175 (5@35)	575 (05@115)	400
11.मनरेगा	निल/01.03. 2024/417	मै0 धनोटिया ईंटरप्राईजेज इच्छी	Lemon	3250 (65@50)	14300 (65@220)	11050
			K.Lemon	500 (10@50)	1800 (10@180)	1300
			Mango	585 (09@65)	1620 (09@180)	1035
			Jack Fruit	140 (4@35)	460 (04@115)	320
			Guava	110 (02@55)	360 (02@180)	250
			Malta	330 (06@55)	1080 (06@180)	750
12.मनरेगा	निल/01.03. 2024/580	मै0 धनोटिया ईंटरप्राईजेज इच्छी	Lemon	750 (15@50)	3300 (15@220)	2550
			Orange	660 (12@55)	2160 (12@180)	1500
			Malta	1100 (20@55)	3600 (20@180)	2500
			Mango	650 (10@65)	1800 (10@180)	1150
			Guava	110 (02@55)	360 (02@180)	250

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
विकास खण्ड [illegible]
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

13.मनरेगा	निल / 01.03. 2024 / 395	मै0 धनोटिया ईंटरप्राईजेज इच्छी	Lemon	2500 (50@50)	11000 (50@220)	8500
			Mango	195 (03@65)	540 (03@180)	345
14.मनरेगा	निल / 01.03. 2024 / 430	मै0 धनोटिया ईंटरप्राईजेज इच्छी	Lemon	2250 (45@50)	9900 (45@220)	7650
			Mosme	550 (10@55)	1800 (10@180)	1250
15.मनरेगा	निल / 01.03. 2024 / 578	मै0 धनोटिया ईंटरप्राईजेज इच्छी	Lemon(H.B)	1000 (20@50)	4400 (20@220)	3400
			Guava	275 (05@55)	900 (05@180)	625
			Mosme	825 (15@55)	2700 (15@180)	1875
			Malta	825 (15@55)	2700 (15@180)	1875
					Total	124345

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
विकास खण्ड [illegible]
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)